पत्रांक–15 / SWD–05–43 / 2026 / न०वि० एवं आ०वि०

*ई–मेल स्पीड
पोस्ट / निबंधित डाक

# बिहार सरकार
# नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

**राजीव शंकर,**
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

**महालेखाकार (ले० एवं ह०),**
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–

**विषयः–** **मॉनसून 2026 में विभिन्न स्थायी ड्रेनेज पंपिंग स्टेशनों में अधिष्ठापित DG Set एवं अस्थायी ड्रेनेज पपिंग स्टेशनों का मानसून अवधि में संचालन के लिए Diesel की आपूर्ति हेतु कुल राशि ₹3,37,93,842.00/– (तीन करोड़ सैंतीस लाख तिरानबे हजार आठ सौ बयालीस रू) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये कार्यान्वयन हेतु तत्काल ₹100.00 लाख (एक करोड़ रूपये) मात्र सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2026–27 में राशि के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

**आदेशः–** **स्वीकृत।**

प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना के पत्रांक–1056 दिनांक–13.04.2026 के द्वारा मॉनसून 2026 में पटना शहर एवं आस पास के क्षेत्रों से त्वरित जल निकासी हेतु विभिन्न स्थायी ड्रेनेज पंपिंग स्टेशनों में अधिष्ठापित DG Set एवं अस्थायी ड्रेनेज पपिंग स्टेशनों का मानसून अवधि में संचालन हेतु Diesel की आपूर्ति हेतु कुल राशि ₹3,37,93,842.00/– तीन करोड़ सैंतीस लाख तिरानबे हजार आठ सौ बयालीस रू) मात्र की प्राक्कलन तैयार कर सक्षम प्राधिकार से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त कराते हुए प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है।

2. उक्त अनुरोध के आलोक में मॉनसून 2026 में विभिन्न स्थायी ड्रेनेज पंपिंग स्टेशनों में अधिष्ठापित DG Set एवं अस्थायी ड्रेनेज पपिंग स्टेशनों का मानसून अवधि में संचालन के लिए Diesel की आपूर्ति हेतु कुल राशि ₹3,37,93,842.00/– (तीन करोड़ सैंतीस लाख तिरानबे हजार आठ सौ बयालीस रू) मात्र की प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में तत्काल स्तम्भ–04 के अनुरूप ₹100.00 लाख (एक करोड़ रूपये) मात्र के सहायक अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :–

**(रूपये लाख में)**

| क्र0 सं0 | कार्य का नाम | **प्रशासनिक स्वीकृति की राशि** | **तत्काल आवंटन की राशि** | **अवशेष राशि (4–5)** |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | Estimate for the Requirement of Diesel (HSD) for Operation of DG Sets (DPS) and Trolly Diesel Pumps (TDPS) During Monsoon Period 2026-27 (**Azimabad Anchal**) | **117.30159** | **100.00** | **237.93842** |
| 2 | Estimate for the Requirement of Diesel (HSD) for Operation of DG Sets (DPS) and Trolly Diesel Pumps (TDPS) During Monsoon Period 2026-27 (**Kankarbagh Anchal and Bakipur Anchal**) | **87.83429** | | |
| 3 | Estimate for the Requirement of Diesel (HSD) for Operation of DG Sets (DPS) and Trolly Diesel Pumps (TDPS) During Monsoon Period 2026-27 (**Patliputra Anchal and Nutan Rajdhani Anchal**) | **132.80254** | | |
| | **Total** | **337.93842** | **100.00** | **237.93842** |

**अर्थात कुल स्वीकृत ₹100.00 लाख (एक करोड़ रूपये) मात्र।**

3. **स्वीकृत कुल ₹100.00 लाख (एक करोड़ रूपये) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होगें,** जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक–17.04.98 एवं पत्रांक–236, दिनांक–09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। *अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि बुडको, के **PL** खाता सं०–**PTSPLA006, HoA** संख्या–**00-8448-00-120-0014-00-01** में **CFMS** के माध्यम से **Inter Departmental** विधि से **Online** हस्तांतरित किया जाएगा।* **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

4. स्वीकृत राशि की निकासी मांग संख्या–48 बजट शीर्ष–2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष–05–अन्य शहरी विकास योजनाएं, लघुशीर्ष–001– निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष–0008–एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन, विपत्र कोड–**48-2217050010008,** विषय शीर्ष–0008.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद से की जाएगी।

5. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–1496, दिनांक–22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक–63, दिनांक–11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण–पत्र BTC- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

6. *योजना का कार्यान्वयन ई०–टेन्डरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर बुडको द्वारा कराया जाएगा।*

7. ***विभागीय अभियंत्रण कोषांग के मंतव्य के आलोक में प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि इसका भूगतान D.G. सेट के वास्तविक उपभोग तथा इसके संबंधित सत्यापित Log Book के आधार पर किया जाएगा।***

*8.* स्वीकृत राशि O & M के शर्त्त को ध्यान में रखते हुए वास्तविक व्यय के विरूद्ध की जायेगी तथा संबंधित को भुगतान वित्तीय नियमावली एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं संविदा शर्त्तों के अनुरूप सप्रमाण किया जाएगा।

9. योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन के पूर्व बुडको के संबंधित अभियंता संबंधित नगर निकाय से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित हो लेंगे कि योजना की डुप्लिकेसी ना हो।

10. वित्त विभाग के संकल्प सं०–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम 04–15 / 2009–9736, दिनांक–19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार सहायता अनुदान की राशि का

उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।

11. दिनांक–05.06.2026 को आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में उक्त के संबंध में अनुशंसा प्राप्त है।

12. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति इस संचिका के पृष्ठ सं०–Note-12/टि० पर दिनांक–12.06.2026 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–Note-17/टि० पर दिनांक–19.06.2026 को प्राप्त है।

**बिहार राज्यपाल के आदेश से,**

ह०/–

**सरकार के संयुक्त सचिव।**

ज्ञापांक–15/SWD–05–43/2026 78 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–24/06/26

**प्रतिलिपिः–** प्रमंडलीय आयुक्त, संबंधित प्रमंडल/प्रबंध निदेशक, बुडको/जिला पदाधिकारी पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संबंधित कोषागार के कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/ स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 02 एवं 06 नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**सरकार के संयुक्त सचिव।**